तारीख हुक्म	मि० नं० 122/2012 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निर्मलाबाई बनाम आबिद खाँ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.2020	पत्रावली पेश। वकील वादीगण उपस्थित है। पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, अंकित कथन, वाँछित अनुतोष, प्रस्तुत आदि साक्ष्यादि पर विचार किया गया। प्रतिवादीगण को जवाबदेही का समुचित अवसर दिये गये, पर्याप्त अवसर उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा न तो जवाब पेश किया और न ही न्यायालय कार्यवाही में भाग ही लिया गया परिणामस्वरूप प्रतिवादीगण के जवाब बंद किये गये तथा सम्यक अवसर उपरान्त भी उपस्थित नहीं रहने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा वादपत्र के कथनों को दोहरा कर निवेदन किया कि वादिया एवं उसका पुत्र वादग्रस्त भूमि के अभिलेखित खातेदार आसामी है। नकल जमाबंदी प्रदर्श-1 प्रस्तुत की गई है। प्रति० द्वारा वादीगण की भूमि पर अनाधिकार कब्जा किया हुआ है रिपोर्ट प्रदर्श-2 है। वादीगण की भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे तथा अन्य सहायता जो भी वादीगण	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुक्म
	प्रार्थी के हकदार हो पर भी वादीगण को दी जावे।	
	दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर सम्यक विधिसंगत विचार किया गया।	
	चूंकि प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा न तो जवाब दिया और न ही न्यायालय में लम्बे समय तक उपस्थित रहे, लिहाजा उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दु भी निर्धारित किया जाना उचित नहीं पाया गया।	
	प्रकरण में वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में अंकित किया गया है, कि ग्राम खेलाबाद की भूमि खसरा नम्बर 1885 रकबा 0.41 हे० वादीगण के खातेदारी की है जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा कर लिया है उन्हें बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे। दौराने सुनवाई वादपत्र से प्रतिवादी नम्बर 18, 19 व 21 का नाम डिलीट किया गया।	
	हस्व नकल जमाबंदी ग्राम खेलाबाद 2004-2024 खाता नम्बर 854 प्रदर्श-1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी बाके माल मौजा	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खेताबाद खसरा नम्बर 1885 रकबा 0.41 है० अन्य भूमियों सहित वादीगण के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि से ऐसा कोई सरोकार प्रतीत नहीं होना पाया जाता जिसके आधार पर उन्हें उक्त भूमि में किसी प्रकार के स्वत्व प्रोद्भूत होते प्रतीत होते हो। अर्थात वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का स्वत्व होना तय नहीं है। साथ ही साथ तनकीह जमाबंदी प्रदर्श-1 वादीगण की प्रस्तुत प्रकरण में हैसियत धारा 46 R.T. Act के व्यक्तियों जैसी प्रतीत होती है। तनकीह प्रदर्श-2 वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा कर लेने का तथ्य प्रमाणित होता भी चूंकि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई वास्ता होना प्रतीत नहीं होता लिहाजा वादग्रस्त भूमि पर उनके द्वारा किया जा रहा कृत्य अतिचार की श्रेणी में आता है। चूंकि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई विधिक अधिकार प्रमाणित नहीं हो रहा है, फिर भी उनके द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा किया हुआ है, ऐसी सूरत में वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण की हैसियत R.T. Act 1955 की धारा 5 की उपधारा 44 में वर्णित एवं परिभाषित व्यक्ति जैसी हो जाती है। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ख में जारी
	चूंकि धारा 5(44) में परिभाषित व्यक्ति सामान्यतः सहानुभूति प्राप्ति का भी अधिकारी नहीं होता और हस्तगत प्रकरण में भी यह हल्म धारा 46 में वर्णित व्यक्तियों के विरुद्ध किया गया है, इस कारण इनके विरुद्ध किसी लम्बी अवधि के बारे में अर्थात लम्बी अवधि के कब्जे के बारे में भी विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।	
	पत्रावली के सम्यक अवलोकन व मनन उपरान्त गुणावगुण पर विचार के उपरान्त हम वाद वादिया स्वीकार किया जाना विधि के सुसंगत प्रावधानो अनुसार न्यायोचित पाते हैं।	
	गुणावगुण के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम खेराबाद की भूमि आराजी ख० नम्बर 1885 रकबा 0.41 हेक्टर पर से प्रतिवादी नम्बर 1 से 17, 20 व 22 को मौके से बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को संभलाया जावे। दावा दायरी से बेदखली तक की अवधि का वादगत भूमि के लगान का 15 गुना जुर्माना 1601- प्रतिवर्ष की दर से प्रतिवादीगण से वसूल कर वादीगण को दिलाया जावे।	
	[signature] उपखण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो। पत्रावली की निर्णीत में गणना की जाकर दाखिल रेकर्ड भण्डार हो। निर्णय आज दिनाङ्क 29.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (देशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	